कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ० प्र० लखनऊ

पत्रांक सी-3/ विधि - निर्वाचन (निबंधन) दिनांक :लखनऊ सितंबर 07 2015

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०|

2-समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०|

नयी सहकारी समितियों के गठन / निबंधन के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों पार्श्वंकित सम्बन्धी परिपत्रों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है| और समितियों के गठन के पूर्व बिना परीक्षण के ही समितियों का निबंधन कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में निष्क्रिय एवं सुसुप्त समितियां बहुत बड़ी संख्या में हो गयी हैं, जिनका बाद में परिसमापन कराना पड़ता है|

परिपत्रांक सी-33/विधि-विविध दि0 26.2.94
पत्रांक सी-29/विधि- निबंधन दि0 08.08.94
परिपत्रांक सी-05/विधि- निर्वा दि0 17.6.2007
पत्रांक सी-14/ विधि- निर्वा दि0 17.9.2008

अतः नयी समितियों के गठन/ निबंधन से सम्बंधित निम्नलिखित दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए|

1- समितियों के गठन के पूर्व निबंधन हेतु प्रस्ताव/ सन्दर्भ अग्रसारित करने से पूर्व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक अधोलिखित बिन्दुओं पर भलीभांति विचार कर लें|

(अ) नयी समिति के गठनकर्ता सदस्यों से समिति के गठन में अभिरुचि का कारण तथा सदस्यता वृद्धि की संभावनाएं|

(ब) समिति का स्वाश्रयी होने हेतु स्थानीय स्तर पर संभावनाएं|

(स) समिति के गठन से आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सदस्यों के जीविकोपार्जन एवं सामाजिक सुधार में सहायक होने की सम्भावना|

(द) समिति के स्वरुप अनुसार कुशल सदस्यों एवं कार्यकलाप से सम्बंधित समाधानों की संभावनाएं|

(प) समिति के कार्यालय में कच्चे पदार्थ की आपूर्ति एवं विपणन की व्यवस्था की सम्भावना|

(फ) समिति के स्वरुप के अनुसार सम्बंधित विभाग में सहभागिता एवं ग्राहयता के विषय में औचित्यपूर्ण संस्तुति|

2- प्रस्तावित समिति का निबंधन करने से पूर्व बनाये गए सदस्यों के सदस्यता प्रमाणपत्र पर प्रमाणित फोटोग्राफ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वरा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वरा निर्गत उनके नाम व पता का सत्यापन विषयक प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किये जाएँ तत्पश्चात ही समिति का निबंधन किया जाये|

3- किसी समिति के निबंधन हेतु प्रपत्र “क” प्रार्थना पत्र 50 रुपये का शुल्क देने पर दिया जाएगा तथा 20 रुपये प्रति उपविधि की दर से मॉडल उपविधियां समिति को दी जायेगी| यदि ऐसी प्रतिमान उपविधियां उपलब्ध न हो तो प्रार्थी अपनी उपविधियां बना सकता है|

4- निबंधन के लिए प्रत्येक प्रार्थना पत्र में उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम की धारा -6 की उपधारा- 2 में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जाएगी|

5- किसी समिति का गठन/ निबंधन करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि प्रस्तावित समिति से राज्य में सहकारिता आन्दोलन की सामान्य कार्य प्रणाली और उनके स्वरुप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रस्तावित समिति के नाम के साथ किसी व्यक्ति विशेष सम्प्रदाय जाति या पंथ का नाम तो नहीं है|

6- मंडलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता द्वरा निबंधन का प्राप्त प्रार्थना पत्र अधोलिखित “प्रपत्र ग” पर सूचनाएं एक रजिस्टर में दर्ज कराएँगे तथा प्रार्थना पत्र पर कम संख्या डाली जायेगी|

प्रपत्र “ग”

नियम 7 के अधीन

क्रम सं	प्रस्तावित समिति तथा मुख्या प्रवर्तक का नाम	समिति का पूर्ण पता	प्राप्ति का दिनांक तथा किस प्रकार प्राप्त हुआ	निगमित अभी स्वीक्रति का दिनांक तथा अभिलेख आख्या
1	2	3	4	5

अभिदेश जिनके द्वारा अतिरिक्त सुचना या जाँच अपेक्षित हो	दिनांक जब तक अतिरिक्त सूचना या जाँच अपेक्षित हो	दिनांक जिस पर अतिरिक्त सुचना या जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुयी	आदेश की संख्या तथा दिनांक			
			निबंधन	अस्वीकृति	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10	11	12

7- निबंधन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उपविधियों में नियम 9 के अनुसार छोटे- छोटे परिवर्तन करने से पूर्व मुख्य प्रवर्तक अथवा प्राधिकृत किसी अन्य प्रार्थी की इस योजना के लिए लिखित सहमति अवश्य प्राप्त की जाए|

8- धारा 7 के अधीन निबंध समिति प्रपत्र घ में निबंधन रजिस्टर में समिति का पता जैसे कि निबंधन प्रार्थना पत्र के प्रपत्र में दिया गया हो दर्ज किया जायेगा एवं समिति का पत्र जैसे की निबंधन प्रार्थना पत्र के प्रपत्र में दिया गया हो दर्ज किया जायेगा एवं प्रपत्र घ का रजिस्टर पूर्ण होने के उपरांत ही निबंधन प्रमाण पात्र समिति को प्राप्त कराया जायेगा तथा नयी गठित समिति की सूचना मुख्यालय को दी जायेगी|

<u>प्रपत्र घ</u>

(नियम 10 के अधीन)

निबद्ध सहकारी समितियों का रजिस्टर, जिला-

निबंधन का दिनांक	क्रम सं निबंधन संख्या	समिति का नाम	निबद्ध का पता	समिति का वर्ग उपवर्ग समिति	दायित्व	निबंधन पत्रावली का अभिदेश
1	2	3	4	5	6	7

निबंधन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	संशोधन यदि कोई हो		सम्बद्ध केन्द्रीय समिति का नाम	अभियुक्ति
	निबंधन का दिनांक	संशोधित उप विधियों का अभिदेश		
8	9	10	11	12

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबंधक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ |

पत्रांक सी-03 / विधि- निर्वाचन (निबंधन) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित|

1- समस्त योज्नाधिकारी सहकारिता उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ|

2- समस्त अपर निबंधक मंडल प्रभारी सहकारिता उ०प्र० लखनऊ|

(हीरालाल यादव)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (विधि- निर्वा)
सहकारिता उ०प्र०
लखनऊ